बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / SBPDCL–05 / 2025– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– आर०डी०एस०एस० योजना अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) के कुल 13 प्रमण्डलों के विरूद्ध 09 प्रमंडलों में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा–डी०एम०एस० के कार्यों हेतु आर०ई०सी० लि० द्वारा अनुसंशित 576.74 करोड़ (पॉच सौ छिहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 346.04 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चार लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 230.70 करोड़ (दो सौ तीस करोड़ सत्तर लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने एवं इसके अतिरिक्त पेसू के शेष 04 प्रमंडलों यथा– दानापुर, खगौल, गुलजारबाग एवं कंकड़बाग–2 में भी स्काडा–डी०एम०एस० के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त 76.26 करोड़ (छिहत्तर करोड़ छब्बीस लाख) रूपये राज्य योजना से स्वीकृति अर्थात कुल 653.00 करोड़ (छः सौ तिरेपन करोड़) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रूपये हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

आर०डी०एस०एस० योजना अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा के कार्यों हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) केन्द्र की नोडल एजेंसी REC लिमिटेड को स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया था जिसमें अंडरग्राउड 33 के०भी० एवं 11 के०भी० नये लाईन का निर्माण, जर्जर 33 के०भी० एवं 11 के०भी० लाईन को भूमिगत केबलिंग करने का कार्य 33 के०भी० एवं 11 के०भी० कभर कंडक्टर का कार्य आर०एम०यू० एवं मोटराइज्ड आइसोलेटर का अधिष्ठापन, अंडरग्राउड एल०टी० लाईन को भूमिगत केबलिंग करने का कार्य, बांस बल्ला हटाकर एरियल बन्च केबलिंग करने का कार्य एवं स्काडा–डी०एम०एस० का कार्य सम्मिलित है। उक्त विद्युत संरचना के निर्माण से पटना शहर में हो रही गुणात्मक भार वृद्धि की प्रतिपूर्ति हो सकेगी तथा सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। इसके साथ भूमिगत केबलिंग से पटना शहर में सुचारू एवं उन्नत विद्युत व्यवस्था सीमित स्थान में भी संभव हो सकेगी। स्काडा–डी०एम०एस० से पटना शहर के ग्रिड संरचना का आधुनिकीकरण हो सकेगा।

2. आर0ई0सी0 लि0 के पत्रांक–79 दिनांक–14.08.2025 द्वारा पेसू के 09 विद्युत आपूर्ति प्रमण्डलों यथा– न्यू कैपिटल, आशियाना, पाटलीपुत्र, गर्दनीबाग, डाकबंगला, बांकीपुर, राजेन्द्रनगर, कंकड़बाग–1 एवं पटना सिटी हेतु कुल 568.22 करोड़ रूपये की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) हेतु कुल 8.52 करोड़ की राशि की भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका अधिभार 60:40 वित्तीय पोषण के आधार पर

होगा। आर0ई0सी0 लि0 द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गयी है कि इसकी अनुशंसा डिस्ट्रीब्यूशन रिफार्म कमिटी (डी0आर0सी0) से प्राप्त कर ली जाए।

3. उल्लेखनीय है कि दिनांक–09.12.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रीब्यूशन रिफार्म कमिटी (डी0आर0सी0) की आयोजित बैठक में इस योजना की अनुशंसा प्राप्त कर ली गयी है।

4. इस योजना हेतु मेसर्स आर0ई0सी0 लि0 द्वारा कुल स्वीकृत राशि 576.74 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत केन्द्रांश अर्थात 364.04 करोड़ रूपये अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्रांश के अतिरिक्त योजना को पूर्ण कराने हेतु शेष 40 प्रतिशत राशि अर्थात 230.70 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। इसके अतिरिक्त स्काडा–डी०एम०एस० के कार्यों को पेसू के शेष 04 विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों यथा– दानापुर, खगौल, गुलजारबाग एवं कंकड़बाग–2 में भी क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि 76.26 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।

5. उक्त आलोक में आर०डी०एस०एस० योजना अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) के कुल 13 प्रमण्डलों के विरूद्ध 09 प्रमंडलों में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा–डी०एम०एस० के कार्यों हेतु आर०ई०सी० लि० द्वारा अनुसंशित 576.74 करोड़ (पॉच सौ छिहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 346.04 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चार लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 230.70 करोड़ (दो सौ तीस करोड़ सत्तर लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने एवं इसके अतिरिक्त पेसू के शेष 04 प्रमंडलों यथा– दानापुर, खगौल, गुलजारबाग एवं कंकड़बाग–2 में भी स्काडा–डी०एम०एस० के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त 76.26 करोड़ (छिहत्तर करोड़ छब्बीस लाख) रूपये राज्य योजना से स्वीकृति अर्थात कुल 653.00 करोड़ (छः सौ तिरेपन करोड़) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रूपये हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900106 विषय शीर्ष–54.01–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA017) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

8. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA017 से की जाएगी।

(9)

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/SBPDCL–05/2025 के पृष्ठ संख्या–25/टि0 पर दिनांक–13.01.2026 को प्राप्त है।

11. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/SBPDCL–05/2025 के पृष्ठ संख्या–29/टि0 पर दिनांक–14.01.2026 को प्राप्त है।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/SBPDCL–05/2025– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/SBPDCL–05/2025– 292 /पटना, दिनांक– 21.01.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.26
सरकार के संयुक्त सचिव।